



2026:AHC-LKO:12274-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 146 वर्ष 2026

कुमारी मिथिलेश@मिथिलेश कुमारी

..... अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, लखनऊ और 2 अन्य प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:विनोद कुमार श्रीवास्तव, पुनीत अस्थाना

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: वी.पी. नाग (ए.सी.एस.सी.)

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह,

1. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 15.04.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता ('अपीलकर्ता') द्वारा 'सींचपाल' के पद पर नियुक्ति की मांग करते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है।
2. यह अपील 632 दिनों से बाधित है।
3. लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 5 के तहत एक अर्जी दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि 15.04.2024 को माननीय सिंगल जज द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद, अपीलकर्ता द्वारा वैसी ही राहत की मांग करते हुए एक और रिट याचिका (रिट-ए संख्या 3380/2024) दायर की गई थी माननीय सिंगल जज ने इस याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए अपीलकर्ता को स्पेशल अपील दायर करने की छूट दी थी, जिसके कारण स्पेशल अपील दायर करने में देरी हुई।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. जिस आधार को उठाने का प्रयास किया गया है उसका मूल अर्थ यह है कि अपीलकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि 15.04.2024 को पारित वह आदेश जिसके द्वारा रिट याचिका खारिज कर दी गई थी छिपाया गया था और उसी राहत की मांग करते हुए एक नई याचिका दायर की

एसपीएलएडी संख्या 146 वर्ष 2026

2

गई थी, जो लंबित रही और अंततः उसे वापस लेने की अनुमति दे दी गई।

5. बहरहाल, चूंकि हमने इस मामले की जांच इसके गुण-दोष के आधार पर की है, इसलिए विशेष अपील दायर करने में हुई देरी को माफ किया जाता है।

6. अपीलकर्ता ने 31.07.2007 के विज्ञापन के आधार पर सींचपाल के पद के लिए आवेदन किया था, और चयन न होने पर उसने रिट-ए संख्या 1580/2015 दायर की, इस रिट याचिका का निपटारा 01.04.2022 को किया गया जिसमें प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया गया कि वे अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लें। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लिया गया और इसी निर्णय के विरुद्ध यह रिट याचिका दायर की गई है।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने, पक्षों को सुनने के पश्चात्, यह निष्कर्ष निकाला कि सींचपाल के पद के लिए 09 बैकलॉग रिक्तियाँ थीं, जिनमें से 08 अनुसूचित जाति के लिए तथा 01 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थीं। प्रतिवादियों द्वारा पूरक प्रति-शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत मेरिट सूची के अनुसार, अनुसूचित जाति से संबंधित अंतिम चयनित उम्मीदवार ने 32 अंक प्राप्त किए थे, जबकि अपीलकर्ता ने केवल 19 अंक प्राप्त किए थे, अतः प्रतिवादियों द्वारा उसे नियुक्त न करना पूर्णतः उचित था और परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

8. अपीलकर्ता के अधिवक्त ने यह दलील दी कि माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को खारिज किया जाना उचित नहीं था क्योंकि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिए जाने से संबंधित पहलू की जाँच नहीं की गई थी, और चूंकि चयन प्रक्रिया में क्षैतिज आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए यह चयन दूषित हो गया था और अतः, विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

9. हमने प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. रिट याचिका में उठाए गए आधारों पर मात्र एक नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादियों द्वारा विचाराधीन रिक्तियों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण न दिए जाने के बारे में एक भी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है।

11. उपरोक्त के अलावा, आरक्षण न दिए जाने का जो आरोप अपीलकर्ता द्वारा लगाया गया है, वह मूल रूप से विज्ञापन की वैधता से ही जुड़ा है, यह विज्ञापन वर्ष 2007 में जारी किया गया था।

एसपीएलएडी संख्या 146 वर्ष 2026

3

यद्यपि उस समय अपीलकर्ता द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, लेकिन परिणाम घोषित होने और अपीलकर्ता का चयन न हो पाने के बाद जब इसे चुनौती दी गई, तब भी यह मुद्दा नहीं उठाया गया था।

12. उपरोक्त के अतिरिक्त, यदि यह चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, तो इसका परिणाम पहले से ही चयनित उम्मीदवारों को परेशान करने के रूप में सामने आएगा, तथापि, चयनित उम्मीदवारों में से किसी को भी जो कि एक आवश्यक पक्ष होते प्रतिवादी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया।

13. इन सभी कारणों से, उपरोक्त पहलू के चलते, वर्तमान विशेष अपील में पूरी तरह से एक नए आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दी गई चुनौती को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

14. अतः, अपील **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह,) (न्यायमूर्ति मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,)

17 फरवरी, 2026

राज/एचए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।